

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
आदेश

आदेश संख्या:- 12/अ0प्र0-6-03/11-12

/पटना, दिनांक

बिहार कार्यपालिका नियमावली के नियम-21 के आलोक में कार्यों के त्वरित निष्पादन एवं सुव्यवस्थित रूप से कार्य संचालन हेतु विभागीय पदाधिकारियों के बीच निम्नलिखित रूप से वित्तीय शक्ति को प्रत्योजित किया जाता है:-

क्र०सं०	पद	प्रत्योजित वित्तीय शक्ति
1	अवर सचिव (लेखा)	विपत्रों को पारित करने तथा 5,000/- (पाँच हजार) रुपये तक क्रय करने एवं विपत्रों को पारित करने का अधिकार।
2	उप सचिव (लेखा)	विपत्रों को पारित करने तथा 15,000/- (पन्द्रह हजार) रुपये तक क्रय करने एवं विपत्रों को पारित करने का अधिकार।
3	संयुक्त सचिव/अपर सचिव (वरीय प्रभारी लेखा शाखा)	15,001 (पंद्रह हजार एक) से 50,000/- (पचास हजार) रुपये तक क्रय करने एवं विपत्रों को पारित करने का अधिकार।

2. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(फातेह फैयाज),

सरकार के संयुक्त सचिव

/पटना, दिनांक:-

ज्ञापांक:- 12/अ0प्र0-6-03/11-12

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन पटना/प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव

ग्रामीण कार्य विभाग

/पटना, दिनांक:-

ज्ञापांक:- 12/अ0प्र0-6-03/11-12

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव/विशेष सचिव के निजी सहायक/सभी संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता/ सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी नोडल पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/लेखा शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव

ग्रामीण कार्य विभाग

/पटना, दिनांक:- 27/6/24

ज्ञापांक:- 12/अ0प्र0-6-03/11-12

प्रतिलिपि:- श्री इफतेखार अहमद, उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।/सहायक आई0टी0 मैनेजर ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ग्रामीण कार्य विभाग